

मूल घाव में शिष्टी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. रणसिंह पुत्र दोताराम बनाम दोताराम पुत्र रवेराम जाति
जाति मेघवाल नि० नेठाना आदि मेघवाल नि० नेठाना

दावा बाबत :- 88 RTI

मुकदमा नम्बर :- 233/21

निर्णय दिनांक :- 16/12/21

वादी की ओर से वकील जगदीश भट्ट की व प्रतिवादी सं० - की ओर से वकील महेश्वर शनिष की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुराविह राजीनामा रोही भोजा - 45 3 NTR के खाता सं० 53/53 के मु० न० 25, 43, 52 की कुल 2.783 हे० व चक 6 NTR के खाता सं० 63/51 की मु० न० 14, 15 की कुल 1.265 हे० व चक 1 BRW के खाता सं० 50/14 के मु० न० 56, 57 की कुल 1.7210 हे० जो प्रति० सं० 1 दोताराम के नाम राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रति० सं० 1 दोताराम की वजाय वादीगण सं० 1 का प तथा प्रति० सं० 1 दोताराम पूलेड 1/5 - 1/5 धरिता कराव के खातेदार इरतकार दोषिह डिपे जाते व परिपुत्री बैंक रधन है रो रधन मुक होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिजॉर्ड में अंतिम कर रिजॉर्ड उरुल हरे राजीनामा को जीही का माप पग जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़